अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
लाधुखां पुत्र जानुखां जाति मुसलमान निवासी खारड़ी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		आसीनखां पुत्र तेड़वखां वगैरा जाति मुसलमान निवासी आसु नगर, खनौडा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

मुकदमा संख्या :—132 / 2024

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
07.08.2024	यह राजस्व वाद वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो वादी का वाद दर्ज रजिस्टर हो। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया। तहसील स्तर पर सवारों की कमी को मदद्वेनजर रखतें हुए प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी सम्मन से तलब किया जावें। रजिस्ट्री खर्चा वादी वहन करेगा। वकील वादी को प्रतिवादीगण के सम्मन की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते—प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 10.10.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O । बालोतरा	
02.9.24	वकील वादी के प्रार्थना-पत्र वास्ते - पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पर प्रकरण पेश हुआ। साथ ही प्रार्थना-पत्र वाद-विड्रोल बाबत पेश किया गया। उभय पक्ष बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि पक्षकारान [illegible] लोक अदालत की [illegible] होकर आपसी [illegible] पर राजीनामा हो गया है अब कोई वाद-विवाद नहीं है अतः पत्रावली आज पेशी पर ली जाकर वादी को	

सहायक कलक्टर
(S.D.O । बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:19 IST
Reason: SelfAttested

वाद खारिज किया जावे। हमने वकील वादी को सुना और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली अवलोकन की गई। चूंकि वाद अपना वाद-पत्र आगे चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि राजीनामा होना उल्लेखित किया है इस प्रकार वाद हेतुक समाप्त हो गया है। ऐसी सूरत में प्रकरण को निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर प्रकरण आज पेशी तारीख पर लिया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली मौजान मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।

02/09/24

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:19 IST
Reason: SelfAttested